

Reminder**F.No. 18011(11)/16/2024-eoffice (E-8800)**

भारत सरकार/Government of India

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/Ministry of Health and Family Welfare

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/Directorate General of Health Services

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन/Central Drugs Standard Control Organisation(HQ)

FDA Bhawan, Kotla Road/एफ.डी.ए.भवन, कोटला रोड,
New Delhi-110002/नई दिल्ली-110002,
12-11-2024**परिपत्र/CIRCULAR**

विषय: - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर की गणना- के संबंध में।

Subject: - Calculation of Income Tax for the Financial Year 2024-25- Regarding.

[p
इस कार्यालय के दिनांक 30.09.2024 के परिपत्र की निरंतरता में, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे पीएफएमएस के आयकर विकल्प में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर की गणना के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली संभावित आय और बचत का विवरण प्रस्तुत करें और आगे की प्रक्रिया के लिए डीडीओ को अग्रेषित करें। धारा 80सी या आयकर आदि के किसी अन्य खंड के तहत छूट/कटौती के लिए अर्हता प्राप्त निवेश/जमा के लिए स्व-सत्यापित प्रमाण भी फॉर्म 12 बीबी (प्रतिलिपि संलग्न) के साथ नकद अनुभाग, सीडीएससीओ (मुख्यालय) को 30.11.2024 तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

In continuation of circular dated 30.09.2024 of this office, all the officers/staff are requested to furnish the details of probable income and savings qualifying for calculation of their Income Tax for the Financial Year 2024-25 in the prescribed proforma available in the **Income Tax option of PFMS** and **forward the same to DDO** for further processing. The self- attested proof for investment/deposits qualifying for rebate/deduction under Section 80C or any other section of Income Tax etc. may also be furnished to Cash Section, CDSCO(HQ) alongwith Form 12BB (copy enclosed) positively by 30.11.2024.

2. जो लोग धारा 10 (13 ए) छूट के तहत आवास किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अवधि के दौरान किराए की रसीदों के साथ भूमि स्वामी के पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी अन्यथा किराए पर छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. Those who are availing Housing Rent Allowance under section 10(13A) Rebate are required to submit the Photocopy of PAN Card of Land Lord along with Rent Receipts during the period otherwise Rent Rebate will not be considered.

3. जो लोग भुगतान किए गए HBA मूलधन और भुगतान किए गए HBA पर ब्याज की छूट का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कब्जे की घोषणा और स्व-अधिकृत घर प्रमाण पत्र के साथ बैंक से अनंतिम HBA प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. Those who are availing rebate of HBA principal paid & Interest on HBA paid are also required to submit the Provisional HBA Certificate from bank along with declaration of possession for the FY 2023-24 & self-occupied house certificate.

4. यदि 30 नवंबर 2024 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी के पास कोई अन्य बचत और आय नहीं है और यह कार्यालय नियम के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत आयकर काटने के लिए आगे बढ़ेगा और किसी भी बचत/कर गणना पर विचार नहीं करेगा।

4. In case no reply received by 30th November 2024 it will be presumed that the concern employee has no other savings & income and this office will go ahead to deduct the Income Tax under New Tax Regime as per rule and will not entertain any savings/alter tax computation.

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

Enclosure: As above

Signed by

Dileep Kumar Rajput

Date: 12-11-2024 13:54:49

(दिलीप कुमार राजपूत)
निदेशक (प्रशासन)